



कार्यालय नगरपालिका जाखलमंडी

(अधीनस्थ : शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा, पंचकूला)

ईमेल :- secy-jakhalm@ulbharyana.gov.in

फोन न० : 01692-253032


नगर पालिका जाखलमण्डी

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेण्डा का प्रारूप

नगर पालिका जाखलमण्डी के वार्ड नं० 10 की एरिया सभा संख्या 10 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 15.03.2026 को प्रातः 10:00 बजे एरिया सभा की बैठक स्थान प्राथमिक स्कूल नई बस्ती वार्ड न०. 10 में आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न है:-

- i) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- ii) विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- iii) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- iv) एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

2. अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करे।

सचिव, 

एरिया सभा संख्या 10

वार्ड न० 10

नगर पालिका जाखलमण्डी

उपरोक्त की एक-एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है।

1. महानिदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
2. जिला नगर आयुक्त, फतेहाबाद।
3. सम्बन्धित वार्ड पार्षद नगरपालिका जाखलमण्डी।